

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 1978/श्रावण 3, 1900

No. 217] NEW DELHI TUESDAY, JULY 25, 1978/SRAVANA 3, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विश्व मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1978

सा० का० नि० 380(अ)—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245 ख द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 310 (अ) तारीख 30 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (ii) में, “श्री सी० सी० गणपति” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, “श्री सुरेन्द्र नारायण” शब्द रखे जाएंगे।

[एफ सं० 21/1/78-प्रशा० 1-अ (के०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th July, 1978

G.S.R. No. 380(E).—In exercise of the powers conferred by section 245B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) G.S.R. No. 310(E) dated the 30th April, 1976, namely :—

In the said notification, in item (ii), for the words and letters "Shri C. C. Ganapathy", the words "Shri Surendra Narayan" shall be substituted.

[F. No. 21/1/78-Ad. IA(C)]

सा० का० नि० 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) की धारा 22 ख द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 309 (अ) तारीख 30 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (ii) में, "श्री सी० सी० गणपति" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "श्री सुरेन्द्र नारायण" शब्द रखे जाएंगे।

[एफ० सं० 21/1/78-प्र० 1-अ (के०)]

ए० एन० सरीन, अवर सचिव,

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by section 22B of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) G.S.R. No. 309(E) dated the 30th April, 1976, namely :—

In the said notification, in item (ii), for the words and letters "Shri C. C. Ganapathy", the words "Shri Surendra Narayan" shall be substituted.

[F. No. 21/1/78-Ad. IA(C)]

A. N. SAREEN, Under Secy.